संख्या- 09 /2017/179/22-4-17-13जी/11टीसी

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 27 फरवरी, 2017

विषय- प्रदेश की कारागारों/जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग/पी0सी0ओ0 कार्ययोजना में चिन्हित नाटफिजिबल लोकेशन में बीएसएनएल के माध्यम से कनेक्टीविटी की व्यवस्था कराये जाने हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-45686/आधु-1/वीका/2014, दिनांक-29 दिसम्बर, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश की 08 कारागारों क्रमश: बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, बलरामपुर, महराजगंज, कासगंज, सोनभद्र, बागपत तथा उप कारागार देवबन्द तथा 03 जनपद न्यायालयों क्रमश: श्रावस्ती, संतकबीरनगर एवं कासगंज अर्थात कुल 11 इकाईयों एवं पीसीओ कार्ययोजना के अन्तर्गत बीएसएनएल की आर0एफ0 रोडियो लिंक एवं लीज्ड लाइन आधारित कनेक्टीविटी की व्यवस्था कराये जाने हेतु कुल अनुमानित लागत रू0 25.78 लाख के सापेक्ष कारागार विभाग के हिस्से की 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 12.89 लाख की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से शासनादेश संख्या-02(1)/22-4-17-13जी/11टीसी, दिनांक 23 जनवरी,2017(प्रति संलग्न) द्वारा की गयी है।

2- अत: सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश की कारागारों/जनपद न्यायालयों (कुल 11 इकाईयों) में आर0एफ0 रोडियो लिंक एवं लीज्ड लाइन आधारित कनेक्टीविटी की व्यवस्था बीएसएनएल के माध्यम से कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू0 12,89,000/-(रूपया बारह लाख नवासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) उपकरणों का क्रय परचेज स्टोर रूल्स एंव सुसंगत नियमों तथा संगत शासनादेशों के अनुसार मस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा। इसका दायित्व वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ का होगा।

(2) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की गयी है उसी मद में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी। यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2017 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

(4) सम्बन्धित संस्था द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए उन्हे स्थापित करने एवं उसके रख-रखाव का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(5) स्वीकृत उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) जिस मद से धनराशि पुनर्विनियोजित की गयी है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-16- प्रदेश के कारागारों एवं जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेसिंग प्रणाली की स्थापना-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि से वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक- 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- 09/2017/179(1)/22-4-17-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) मुख्य महाप्रबंधक, बीएसएनएल, दूर संचार, उ0प्र0 पूर्वी परिमण्डल (इन्टर प्राइजेज बिजनेस इकाई) भोपाल हाउस, लालबाग, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।